न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्र. 9229 /2016 ' 3763 - I / 16

1. बहीदन पुत्री शेर खां पत्नी, आयु- 65 वर्ष, निवासी- बसौडा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. विन्ना पुत्री शेर खाँ पत्नी मंगू खां, आयु- 60 वर्ष, निवासी- बसौडा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

-----आवेदकगण

विरुद्ध

1. नवीवक्श पुत्र शेर खाँ, निवासी- बसौडा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. सफ्फी खाँ पुत्र शेर खाँ, आयु- 40 वर्ष, निवासी- घूरा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
3. वहीद खाँ पुत्र अमरूद्दीन खाँ, आयु- 53 वर्ष, निवासी- बसौडा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
4. म.प्र. शासन ------ अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय दिगौड़ा के प्रकरण क्रमांक 81/अ-6/2014-15 को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने हेतु संहिता की धारा 29 (1) के अधीन आवेदन पत्र

माननीय महोदय,

आवेदकगण का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9229—एक/2016 जिला टीकमगढ़

बहीदन आदि विरूद्ध नवीवक्श आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19—8—2019	आवेदक अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। आवेदक द्वारा यह विविध आवेदन नायब तहसीलदार दिगौडा के प्रकरण 81/अ—6/2014—15 को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने हेत संहिता की धारा 29(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। आवेदक अभिभाषक के तर्क में बताया कि जिस नायब तहसीलदार दिगौड़ा के विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उनका स्थानांतरण हो गया है। अतः इस प्रकरण का कोई औचित्य नहीं रह गया है। फलस्वरूय यह विविध प्रकरण समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे0के0 जैन) सदस्य	